छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर
//आदेश//

क्रमांक 228/स.परि./2020 नवा रायपुर दिनांक 05/05/2020
प्रति,

समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़।
समस्त क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, छत्तीसगढ़।

विषयः- "कोरोना वायरस" (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव की दृष्टि से नगरीय क्षेत्रों में माल वाहक सेवाओं के समय सीमा निर्धारण तथा माल वाहन के साथ आये ड्राईवर/क्लीनर द्वारा सोशल फिजीकल डिस्टेंस के पालन के संबंध में।

--00--

विषयांतर्गत भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में भी माल परिवहन की अनुमति प्राप्त है। कोरोना प्रभावित राज्यों से माल वाहनों के साथ ड्राईवर/क्लीनर भी आ-जा रहे हैं जिनके स्थानीय लोगों के संपर्क में आने से कोरोना संक्रमण राज्य में फैल सकता है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेः-

1. अन्य राज्यों से माल वाहनों के साथ आये ड्राईवर/क्लीनर के लिए नगरीय क्षेत्र के बाहर चिन्हित ट्रान्सपोर्ट नगर/गोदाम/अनलोडिंग प्वाईन्ट, फैक्ट्री स्थल इत्यादि पर रूकने हेतु ही व्यवस्था की जाये और उक्त व्यक्तियों को उस क्षेत्र के बाहर जाने, और नगरीय क्षेत्र के भीतर आने की अनुमति न दी जाये और वहां रहने पर फेसमास्क उपयोग सहित सोशल फिजीकल डिस्टेंस गाईड लाईन का पालन करने हेतु निर्देशित किया जाये।
2. उपरोक्तानुसार माल वाहनों को रूकने के स्थल से नगरीय क्षेत्र के अंदर माल परिवहन हेतु दिन में आने की अनुमति न दी जाये तथा केवल रात्रि 9:30 बजे से प्रातःकाल 6:00 बजे तक नगरीय क्षेत्र के भीतर माल परिवहन हेतु ही अनुमति दी जाये। इस हेतु नगर में आने वाले मार्गो पर रोड़ स्टॉपर एवं अन्य माध्यम से माल वाहनों के आने पर रोक लगाई जाये। इसमें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं जैसे-सब्जी, दूध, अंडे इत्यादि को लाने वाले स्थानीय छोटे माल वाहनों को छूट दी जाये। माल की लोडिंग अनलोडिंग के समय भी संबंधितों द्वारा फेसमास्क उपयोग सहित सोशल फिजीकल डिस्टेंस गाईड लाईन का पालन किया जाये।
3. शहरीय क्षेत्र के अंतर्गत अन्य अनुमति प्राप्त सामान्य आर्थिक गतिविधियों के लिए समय-सीमा सायंकाल 4 बजे तक निर्धारित की जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि माल परिवहन गतिविधियों तथा अन्य सामान्य आर्थिक गतिविधियों के लिए पूर्णतः पृथक-पृथक समय-सीमा हो, और बाहर से आने वाले परिवहन संबंधी व्यक्तियों (ड्राईवर/क्लीनर) का नगरीय क्षेत्र के भीतर निवासरत व्यक्तियों से संपर्क न हो ताकि कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना को न्यूनतम किया जा सके।
4. उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन के बल तथा पुलिस के बल को निर्धारित क्षेत्रों में तैनात किया जाये । साथ ही स्थानीय परिवहन संघों तथा चैम्बर ऑफ कामर्स एवं इन्डस्ट्री के प्रतिनिधियों को भी इन निर्देशों के बारे में अवगत करा कर उनका सहयोग प्राप्त किया जाये।

अतः लोक हित में इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये और उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल दंडात्मक कार्यवाही की जाये।

5/5/20
(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
परिवहन विभाग

पृ. क्रमांक 228 A/स.परि./2020 नवा रायपुर दिनांक 05/05/2020
प्रतिलिपि :-

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय परिवहन मंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
3. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर।
4. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़।
5. संभागायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक समस्त संभाग/रेंज

आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

5/5/20
सचिव
परिवहन विभाग

Scanned with CamScanner